महात्मा ज्योतिबा फुले
रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांक :– रू0वि0/सम्ब0/2010/38015–24 दिनांक:–16.09.2010

सेवा में,

प्रबन्धक,
वसीम तुर्की मुस्लिम डिग्री कालेज,
फतेहपुर माफी, पलौला, जेपी नगर

विषय– संस्था में बी.एड. पाठ्यकम की सम्बद्धता सत्र 2010–11 से प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 16.09.2010 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा आपको अवगत कराना है कि आपकी संस्था को उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक 1479/सत्तर–2–2010–2(320)/2010, दिनांक 30.08.2010 के द्वारा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यकम की 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.2010 से शर्तों के अधीन एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

शासन द्वारा उपरोक्त पूर्वानुमति एवं एनसीटीई के पत्र संख्या F-7/UP-2871/157/Meeting/2010/19021, दिनांक 27.03.2010 एवं उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक 1479/सत्तर–2–2010–2(320)/2010, दिनांक 30.08.2010 के आलोक में कुलपति महोदय ने कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संस्था वसीम तुर्की मुस्लिम डिग्री कालेज, फतेहपुर माफी पलौला, जे.पी. नगर (अल्पसंख्यक संस्था) को शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यकम में 100 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 01.07.10 से एक वर्ष हेतु सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी है–

1. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी.एड. पाठ्यकम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973–37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र बी में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन करेगी।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी
2. उप–कुलसचिव
3. सहायक कुलसचिव(परीक्षा, गोपनीय, शैक्षणिक, मुद्रण)
4. निजी सचिव कुलपति।
5 प्रभारी कम्प्यूटर
6. समन्वयक प्रवेश परीक्षा

कुलसचिव